

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक.....मुकाम.....भादरा.....

राजा.....बनाम्. रामजीलाल आदि

किस्म मुकदमा.....212 आरटीएक्टन० 38/2021 सन्..... 2021.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
------------	---------------------------------	--

17.06.2021 प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मोजा मुन्दडिया बडा के खाता सं० 135/132 के खसरा सं० 93, 129, 132, 133, 170, 308/2 कुल 31.5010 है० बाराणी खातेदारी वादभूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 30.07.2021 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफेसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थीया अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 30.07.2021 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

30-7-21

वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थीउप.
पत्रावली गत अदेशानुसार वास्ते.....
दिनांक 23.7.21 को पेश हो

6-9-21

पत्रावली आप वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर पेश की गई। प्रार्थना पत्र से संबंधित मुद्दा वाद खारिज / विद्रा कर दिनांक 6-9-21 पर पेश की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वतः ही खारिज हो वा खिल फरक हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

